न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी कोटड़ा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सत्यनारायण आचार्य आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 48/2012

तारीख दायरा—07.09.2012

तारीख निर्णय—26.12.2014

उनवान

1. श्री शंकरलाल पिता लक्ष्मण जी चव्हाण/भील निवासी सोम तहसील झाडोल।
2. श्री खलीया पिता लखमा गमेती निवासी निचलाथला तहसील कोटड़ा।

........वादीगण

बनाम

1. केसरी पुत्री जेठा गमेती निवासी निचलाथला तहसील कोटड़ा।
2. हरमी पुत्री जेठा गमेती निवासी निचलाथला तहसील कोटड़ा।
3. मोदणी पुत्री जेठा गमेती निवासी निचलाथला तहसील कोटड़ा।
4. थावरी पुत्री जेठा गमेती निवासी निचलाथला तहसील कोटड़ा।
5. लाली पुत्री शंकरलाल मीणा निवासी जूथरी (जवास) तहसील कोटड़ा।
6. कमलाबाई पत्नी मसरूलाल खैर/गमेती निवासी दाडमिया तहसील कोटड़ा।
7. श्री मतराराम पिता सवईराम मीणा निासी मेवदांकला तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री प्रवीण कुमार मेहता एड.

प्रतिवादी की ओर से— श्री गोविन्द नारायण शर्मा एड.

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के संयुक्त काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मौजा निचलाथला पटवार क्षेत्र लाम्बाहल्दु तहसील कोटड़ा में स्थित है, जो हाल के राजयकी रेकर्ड के खाता संख्या 6 पर अंकित है, जिसका विवरण परिशिष्ठ "अ" में प्रस्तुत है, जो कि वादपत्र का अभिन्न अंग है। परिशिष्ठ "अ" में वर्णित कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का माफिक राजकीय रेकर्ड 37/579 एवं वादी संख्या 2 का माफिक राजकीय रेकर्ड 11/579 अंकित है और उसी अनुसार वादीगण मौके पर काबिज है। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का आजदिन तक कोई विधिक विभाजन नही हुआ है, जिससे पक्षकारान को अपनी वाद में वर्णित कृषि भूमि का विकास करने व सुधार करने में भारी बाधा हो रही है। इस कारण वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिक विभाजन कराये जाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि के विधिक विभाजन हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर उक्त कृषि भूमि का सहमति से विधिक विभाजन कराये जाने

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा (जिला उदयपुर)

की कोशिश की किन्तु प्रतिवादीगण जो कि दूर–दूर रहते है, उनसे भौतिक रूप से सम्पर्क नही हो पाया है। इसलिए वादी के पास सिवाय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के अलावा और कोई विकल्प नही बचा है। प्रकरण में विधिक विभाजन की दाद होने से प्रतिवादी संख्या 8 भूमि अधिकारी होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। अतः निवेदन किया गया कि वाद वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सेनुसार विधिक विभाजन कराया जाकर मिट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर अलग–अलग खातेदारी में अंकित कराई जाने की डिक्री प्रदान करायी जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 4 से 8 बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा किया जावें। वादी द्वारा भी वादग्रस्त आराजियात का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर चाहा है एवं प्रतिवादी भी यही चाहते है। अतः प्रकरण में तनकियात कायम नही की गई। वादी की साक्ष्य में गवाह पी. डब्ल्यू. 01 शंकरलाल के बयान कलम बद्व किये गये एवं वादी की साक्ष्य बन्द की गई। प्रतिवादी की साक्ष्य में कोई गवाह पेश नही होने से प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर चाहे जोने से वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा निचलाथला पटवार क्षेत्र लाम्बाहल्दु तहसील कोटड़ा की आराजी नम्बर 105 रकबा 4.15, 106 रकबा 0.04, 131 रकबा 0.09, 132 रकबा 0.14, 133 रकबा 0.14, 153 रकबा 1.02, 289 रकबा 1.02, 303 रकबा 0.19, 304 रकबा 0.18, 325 रकबा 1.00, 395 रकबा 0.10, 396 रकबा 0.13, 397 रकबा 0.11, 398 रकबा 1.10, 399 रकबा 0.13, 400 रकबा 0.06, 402 रकबा 0.05, 403 रकबा 0.05, 409 रकबा 1.05, 504 रकबा 2.03, 538 रकबा 0.13, 565 रकबा 0.13, 566 रकबा 1.07, 567 रकबा 2.03, 569 रकबा 2.12, 582/351 रकबा 0.15, 583/353 रकबा 0.18 किता 27 कुल रकबा 28.19 बीघा भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार कोटड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/– रूपये वादी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार कोटड़ा को निर्णय की प्रति भेजी जाकर लिखा जावें एवं पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह में तलब की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आचार्य)
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा (जिला उदयपुर)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी कोटड़ा जिला उदयपुर (राज.)

प्रारम्भिक वाद डिकी

पीठासीन अधिकारीः– सत्यनारायण आचार्य, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 48/2012

वादी पक्ष

1. श्री शंकरलाल पिता लक्ष्मण जी चव्हाण/भील निवासी सोम तहसील झाडोल।
2. श्री खलीया पिता लखमा गमेती निवासी निचलाथला तहसील कोटड़ा।

प्रतिवादी पक्ष

1. केसरी पुत्री जेठा गमेती निवासी निचलाथला तहसील कोटड़ा।
2. हरमी पुत्री जेठा गमेती निवासी निचलाथला तहसील कोटड़ा।
3. मोदणी पुत्री जेठा गमेती निवासी निचलाथला तहसील कोटड़ा।
4. थावरी पुत्री जेठा गमेती निवासी निचलाथला तहसील कोटड़ा।
5. लाली पुत्री शंकरलाल मीणा निवासी जूथरी (जवास) तहसील कोटड़ा।
6. कमलाबाई पत्नी मसरूलाल खैर/गमेती निवासी दाडमिया तहसील कोटड़ा।
7. श्री मताराम पिता सवईराम मीणा निासी मेवदांकला तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

वादी की ओर से– श्री प्रवीण कुमार मेहता

प्रतिवादी की ओर से– श्री गोविन्द नारायण शर्मा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 26.12.2014 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादीगण डिकी किया जाता है एवं मौजा निचलाथला पटवार क्षेत्र लाम्बाहल्दु तहसील कोटड़ा की आराजी नम्बर 105 रकबा 4.15, 106 रकबा 0.04, 131 रकबा 0.09, 132 रकबा 0.14, 133 रकबा 0.14, 153 रकबा 1.02, 289 रकबा 1.02, 303 रकबा 0.19, 304 रकबा 0.18, 325 रकबा 1.00, 395 रकबा 0.10, 396 रकबा 0.13, 397 रकबा 0.11, 398 रकबा 1.10, 399 रकबा 0.13, 400 रकबा 0.06, 402 रकबा 0.05, 403 रकबा 0.05, 409 रकबा 1.05, 504 रकबा 2.03, 538 रकबा 0.13, 565 रकबा 0.13, 566 रकबा 1.07, 567 रकबा 2.03, 569 रकबा 2.12, 582/351 रकबा 0.15, 583/353 रकबा 0.18 किता 27 कुल रकबा 28.19 बीघा भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार कोटड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/– रूपये वादी पक्ष अदा करेगा।

(सत्यनारायण आचार्य)
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा (जिला उदयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा–उदयपुर